सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—02 / 2015

दर्ज तिथिः—01.04.20215

1. मंगला पुत्र धर्मा
   जाति जाट निवासी हिरकन का थान,पटवार मंडल मिठड़ा खूर्द, तहसील धोरीमन्ना

..................वादी

बनाम

1. रायचन्द पुत्र वीरमा
2. लाली बेवा करना
3. लिछमणा पुत्र पाबु
4. चनणा पुत्र पाबु
5. रूपो बेवा पाबु
6. नारायण पुत्र करना
7. धूड़ा पुत्र धर्मा
   जाति जाट निवासी हिरकन का थान,पटवार मंडल मिठड़ा खूर्द, तहसील धोरीमन्ना ....

..........असल प्रतिवादीगण

8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

...................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः—श्री रामजीवण विश्नोई
प्रतिवादीः— श्री ओमप्रकाश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 38 रकबा 84—04 बीघा, खसरा संख्या 10 रकबा 43—02 बीघा कुल रकबा 127—06 बीघा किस्म बा.सोयम वाके मौजा हिरकन का थान पटवार हल्का मिठड़ा खूर्द, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेश तहसीलदार धोरीमन्ना हुक्म वाद डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	वरंग
नारणाराम वल्द करनाराम लली पत्नी करनाराम कौम जाट सा.देह.खातेदार	पूर्ण	10 10 38 38	12—18 3—06 21—17 16—10	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	2-58	हरा
		4	54—11		2.58	
लक्ष्मणराम पिता पाबूराम चनणाराम पिता पाबूराम रूपा पत्नी पाबूराम कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण	10 38	16—03 38—08	बा.सो. बा.सो.	2.56	लाल
		2	54—11	बा.सो.	2.56	
मंगलाराम वल्द धर्माराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन BOB शाखा धोरीमना	पूर्ण	10 38	5—07 12—16	बा.सो. बा.सो.	0-85	काला
		2	18—03	बा.सो.	0-85	
धूड़ाराम वल्द धर्माराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन RMGB शाखा धोरीमना	पूर्ण	10 38	5—08 12—16	बा.सो. बा.सो.	0-85	केसरिया
		2	18—04	बा.सो.	0-85	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

यह डिक्री आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

16/9/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:48 IST
Reason: SelfAttested